दिनांक 07.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 10/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भारतीय सेना द्वारा चलाए गए "ऑपरेशन सिंदूर" के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के निवासियों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

आज रात्रि में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए "ऑपरेशन सिंदूर" के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेशवासियों एवं राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून व्यवस्था अक्षुण्ण रखने सम्बन्धी दिये गये निर्देशों के क्रम में श्री प्रशांत कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सभी जनपदों, कमिश्नरेट्स और पुलिस इकाइयों को तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:-

1. महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा
   - अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी महत्वपूर्ण Critical Infrastructure and Vital Installations की सुरक्षा को सुदृढ़ और उन्नत किया जाए।
   - भौतिक सुरक्षा, निगरानी प्रणाली और परिधि सुरक्षा को मजबूत किया जाए।
2. आंतरिक सुरक्षा अभ्यास
   - आंतरिक सुरक्षा योजना के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की जाए।
   - पूरी तैयारी के साथ पूर्व ब्रीफिंग और बाद की डिब्रीफिंग की व्यवस्था की जाए।
   - संबंधित सभी सुरक्षा इकाइयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
3. पुलिस परिसरों और संसाधनों का ऑडिट
   - सभी पुलिस परिसरों जैसे: पुलिस लाइन, कार्यालय, डिपो , पुलिस यूनिट्स और नियंत्रण कक्ष को सुरक्षित किया जाए।
   - एक संपूर्ण संसाधन ऑडिट किया जाए और कमी पाए जाने पर शीघ्र समाधान किया जाए।
   - पुलिस वेबसाइट और पुलिस सर्वर के साथ-साथ साइबर सुरक्षा सुदृढ़ की जाए।

4. महत्त्वपूर्ण स्थानों पर प्रवेश नियंत्रण

- महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर प्रवेश नियंत्रण व्यवस्था को कड़ा किया जाए।
- पहचान पत्रों की जांच और सत्यापन सुनिश्चित की जाए।

5. एजेंसियों के साथ समन्वय

- निम्नलिखित के साथ नज़दीकी समन्वय स्थापित किया जाए।
- सेना, वायुसेना, नागरिक सुरक्षा, खुफिया इकाइयाँ और अन्य सम्बंधित एजेंसियाँ।
- वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समन्वय की जिम्मेदारी लें।

6. सामरिक आवागमन की व्यवस्था

- निम्नलिखित की सुरक्षित और गोपनीय आवाजाही सुनिश्चित की जाए।
- राजमार्गों और रेलवे पर सैन्य काफिले।
- वायुसेना के लिए एटीएफ / ईंधन की आपूर्ति।
- रेलवे पुलों और ट्रैकों की सुरक्षा की जाए।
- सभी मूवमेंट को "नीड टू नो" आधार पर गोपनीय रखा जाए।

7. सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर सतर्कता

- सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिलों को उच्च सतर्कता पर रखा जाए।
- संवेदनशील क्षेत्रों में बल की तैनाती बढ़ाई जाए।
- आरक्षित बलों को त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार रखा जाए।

8. प्रमुख सेवाओं की सुरक्षा

- निम्नलिखित को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए।
- तेल पाइपलाइन।
- संचार टावर और ओएफसी केबल लाइनें।
- जलापूर्ति प्रणालियाँ और भंडारण।
- बिजली सब-स्टेशन और ताप विद्युत संयंत्र।

9. खुफिया जानकारी और Sabotage की रोकथाम

- संवेदनशील और निषिद्ध क्षेत्रों में संभावित Sabotage और Information Leak की घटनाओं पर सतर्क दृष्टि रखी जाए।
- खुफिया तंत्र को सक्रिय किया जाए और समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए।

10. सोशल मीडिया की निगरानी

- 24x7 सोशल मीडिया मॉनिटरिंग साइबर सेल द्वारा की जाए।
- अफवाह फैलाने और भ्रामक सूचनाओं के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

11. नियंत्रण कक्ष और मोबाइल वाहन सतर्क

- जिला नियंत्रण कक्ष को उच्च सतर्कता पर रखा जाए।
- 112 आपातकालीन वाहनों को Tactical Location पर तैनात किया जाए।

12. नेतृत्व और समन्वय

- वरिष्ठ अधिकारी: जिला प्रशासन, नागरिक सुरक्षा, सेना, वायुसेना और सभी हितधारकों के साथ सक्रिय समन्वय करें।
- सभी कर्मियों को पुलिस युद्ध निर्देशों की जानकारी दें।

13. हवाई अड्डा क्षेत्र की सुरक्षा

- सभी हवाई अड्डों के फनल क्षेत्रों की जाँच की जाए।
- हवाई सुरक्षा इकाइयों के साथ संयुक्त कार्यवाही की जाए।

14. भारत नेपाल सीमा पर निरंतर चौकसी बरतते हुए, अन्य सुरक्षा बलों के साथ समन्वय स्थापित रखते हुए नियमित गश्त की जाय।

दिनांक 07.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 11/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद मथुरा/थाना वृन्दावन</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 4600/– रूपये नगद**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 06.05.2025 को थाना वृन्दावन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त गणेश उर्फ अनेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 4600/– रूपये नगद, लूट का 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना वृन्दावन क्षेत्रान्तर्गत बदमाश द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना वृन्दावन पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरादमगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना वृन्दावन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—गणेश उर्फ अनेश निवासी सौंसा, शाहपुर थाना मगोर्रा जनपद मथुरा।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 4600/– रूपये नगद।

2—लूट का 01 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद कुशीनगर/थाना कोतवाली हाटा</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **708 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर मय थ्रेशर बरामद**

दिनांक 06.05.2025 को थाना कोतवाली हाटा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1—विक्रम 2—दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 708 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर मय थ्रेशर बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—विक्रम निवासी शेखपुर तितरी थाना महम जनपद रोहतक, हरियाणा।

2—दीपक निवासी खन्डा थाना खरखौदा जनपद सोनीपत हरियाणा।

<u>बरामदगी</u>

1—708 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब।

2—घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर मय थ्रेशर।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना जरिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 24 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना जरिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/504 भादवि

के अन्तर्गत अभियुक्तगण 1–रघुवंश 2–सतीश 3–हेमेन्द्र 4–ठाकुरदाऊ को आजीवन कारावास व 24 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद श्रावस्ती/थाना भिनगा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद श्रावस्ती पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना भिनगा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शादाब को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद जौनपुर/थाना सरपतहां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 56 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना सरपतहां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट की सपठित धारा 376(3) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रेहान उर्फ शोएब उर्फ तस्लीम को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 56 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0:–अन्तर्राज्यीय स्तर पर ड्रग्स तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सदस्य गिरफ्तार, 25 ग्राम कोकिन एवं 50 ग्राम सिंथेटिक ड्रग्स मेफेड्रान (MD) बरामद।

दिनांक 06–05–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को लगभग 25 ग्राम कोकिन (अन्तर्राष्ट्रीय

कीमत लगभग 25 लाख रूपये) एवं 50 ग्राम सिंथेटिक ड्रग्स मेफेड्रान (MD) (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 05 लाख रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– प्रेम बाबू उर्फ राज कुमार पुत्र छुन्ना लाल निवासी मकान नं0 569च/448 प्रेमनगर, आलमबाग, लखनऊ।

बरामदगीः

1– 50 ग्राम मादक पदार्थ मेफ़ेड्रान (MD) (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 05 लाख रूपये)

2– 25 ग्राम कोकिन। (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 25 लाख रूपये)

3– 02 अदद एटीएम कार्ड।

4– 01 अदद आधार कार्ड।

5– 01 अदद डीएल।

6– 01 अदद मोबाइल फोन।

7– 1,020/– रु0 नगद

गिरफ्तारी का स्थानः

सेक्टर–8, प्रेरणा पार्क के सामने रेडियो कालोनी, थाना क्षेत्र गाजीपुर, लखनऊ दिनांक 06–05–2025

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से लखनऊ एवं आस–पास के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री अवनीष्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 रमाषंकर चौधरी, शैलेन्द्र उपाध्याय, सुरज कुमार, चेतन सिंह, सुनील मिश्र, आरक्षी सुधीर

कुमार एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ की टीम भ्रमणषील थी। इस दौरान विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली कि जनपद लखनऊ में ड्रग्स तस्करी करने वाले गिरोह का सदस्य सेक्टर–8 में प्रेरणा पार्क के पास मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा रेडियो कालोनी थाना क्षेत्र गाजीपुर, लखनऊ के सामने से अभियुक्त प्रेम बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसका मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला संगठित गिरोह है, जोकि अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करता है। यह लखनऊ स्थित किसी होटल में काम करता था। इसी दौरान मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के सम्पर्क में आया। जिसके बाद नई दिल्ली के पालमपुर से किसी नाइजिरियन व्यक्ति से कोकिन एवं मेफेड्रान (MD) लाकर लखनऊ में सप्लाई करने लगा। दिनांक 06–05–2025 की सुबह फ्लाईट द्वारा दिल्ली गया था वहॉ से मादक पदार्थ लेकर बस द्वारा लखनऊ आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना गाजीपुर, जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 151/2025 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>एस0टी0एफ0:–फर्जी वेबसाइट, साफ्टवेयर एवं पोर्टल के माध्यम से अन्तर्राज्यीय स्तर पर कूटरचित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले संगठित गिरोह के 02 सदस्य बरेली से गिरफ्तार।</u>

दिनांक 06–05–2025 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को फर्जी वेबसाइट ,साफ्टवेयर एवं पोर्टल के माध्यम से अन्तर्राज्यीय स्तर पर कूटरचित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले संगठित गिरोह के 02 सदस्य को बरेली से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1–देव सिंह पुत्र महेन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम–खेड़ा, थाना भमोरा जनपद बरेली।

2–रवि सिंह पुत्र महेन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम–खेड़ा, थाना भमोरा जनपद बरेली।

बरामदगीः–

1– 02 अदद लैपटाप।

2– 03 अदद मोबाईल फोन।

3– 01 अदद आधार कार्ड।

4– 01 अदद एटीएम।

5– 26 अदद फर्जी जन्म प्रमाण पत्र।

6– 04 अदद मृत्यु प्रमाण पत्र।

7– नगद रू0 2,000/– (दो हजार रूपये)

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

दिनांक 06–05–2025, स्थान–दिलजीत इण्टरनेट कैफे कस्बा देवचरा थाना भमोरा जनपद बरेली, समय 19:00 बजे सॉय।

विगत काफी समय से फर्जी वेबसाइट, साफ्टवेयर व पोर्टल के माध्यम से कूटरचित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने एवं इन्ही प्रमाण पत्रो के माध्यम से कूटरचित आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि तथा विभिन्न सरकारी योजनाओ का अनाधिकृत तरीके से लाभ, फर्जी बैनामा व वसीयत में प्रयोग किये जाने सम्बंधी सूचना प्राप्त हो रही थी। फर्जी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले संगठित गिरोह द्वारा सैकड़ो की संख्या में फर्जी पोर्टल विकसित कर फर्जी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाये जा रहे थे, इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री प्रमेष कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, के निकट पर्यवेक्षण में कार्य कर रही एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई अयोध्या द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया।

उपरोक्त क्रम में उप निरीक्षक श्री सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी अंजनी यादव, मुख्य आरक्षी विमलेन्द्र मोहन मिश्र, मुख्य आरक्षी महेश पाण्डेय की टीम दिनांक 06–05–2025 को जनपद बरेली में मौजूद थी एवं उक्त टीम द्वारा मुखबिर सक्रिय किया गया। स्थानीय एसटीएफ फील्ड यूनिट बरेली का सहयोग प्राप्त करते हुए मुखबिर की निशानदेही एवं अन्य अभिसूचना/इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलन के आधार पर 02 अभियुक्तों को बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त रवि सिंह व देव सिंह ने पूछताछ में बताया कि हम लोग साइबर कैफे चलाते है एवं देव सिंह रामभरोसे इण्टर कालेज में इतिहास का अध्यापक है, अपनी आर्थिक आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु आनलाइन फर्जी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का कार्य कर रहे है। इस कार्य के लिए हम लोग फेसबुक के माध्यम से फर्जी पोर्टल बनाने वाले से सम्पर्क कर फर्जी पोर्टल बनवाते है फिर फेसबुक के माध्यम से विभिन्न ग्रुप में जुड़कर जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के विज्ञापन में अपना मोबाइल नम्बर प्रदर्शित करते है। इच्छुक व्यक्ति व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ते है। हम लोग उन्हे पोर्टल का लिंक (https://dc.crsorgi.gov.in.indesx.cloud/register.php) भेजते है जिस लिंक को खोलने पर रजिस्ट्रेशन हेतु मोबाइल नम्बर/ईमेल मॉगा जाता है, जिसके अगले पेज पर रिचार्ज वालेट आप्शन जाने पर एक क्यू आर कोड प्रदर्शित होता है, जिसको स्कैन करने पर सम्बंधित का 200 रूपये आनलाइन आहरित हो जाता है एवं उसके वैलेट में यह रिचार्ज प्रदर्शित होने लगता है तत्पश्चात बर्थ आप्शन पर क्लिक करने पर राज्य चुनकर तथा रजिस्ट्रेशन फार्म भर कर तत्काल जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए किसी दस्तावेज की भी आवश्यकता नही होती है। उक्त सम्बंध में अभियुक्तों द्वारा प्रयोग किये जा रहे पोर्टल पर प्रदर्शित क्यूआर कोड के सम्बन्ध में जानकारी किये जाने पर लिंक बैंक खाते में विगत 03 वर्षो में 28 लाख से अधिक धनराशि का क्रेडिट होना पाया गया, जिसे अभियुक्तो द्वारा अवैध रूप से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर अर्जित किया जाना बताया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त रवि सिंह एवं देव सिंह उपरोक्त को थाना भमोरा जनपद बरेली में मु0अ0सं0–205/2025 धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338 बी0एन0एस0 व 73, 74, 66 सी एवं 66 डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम मे दाखिल किया गया। अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————

दिनांक 07.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 12/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय लखनऊ में किया गया ब्लैक आऊट

देश में किसी भी आपातकालीन संकट से बचाव एवं नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को मजबूत करने के सम्बन्ध में दिनॉकः 07.05.2025 को ब्लैक आऊट किये जाने हेतु शासन द्वारा एडवॉइजरी जारी की गयी थी।

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा जारी एडवॉइजरी के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में ब्लैक आऊट किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में आज दिनॉकः 07.05.2025 को रात्रि 09:05 बजे से 09:33 बजे तक पुलिस मुख्यालय लखनऊ में समस्त लाइटे बन्द कर ब्लैक आऊट किया गया।